

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) लकत भवन/गल्लुड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने या दिवंगत में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम कोस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेंगे ।
- (iv) गल्लुड नवणे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वकल खिड़की व्यापारिक हाथ डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 706 दिनांक 11/09/2020

प्रार्थी त्रिलोचन सिंह बग्गा डा० श्री हरमजन सिंह

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 184 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वानिर्धारण राशि रुपये 6666/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/4379, 4380

दिनांक 11/09/2020 को जमा करा दी है ।

11/09/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर



9 352 352555

व्यापारिक  
हाथ डिजाइन  
अनुसार